

भारत सरकार

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

7वीं मंजिल, अंत्योदय भवन, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स

लोदी रोड़, नई दिल्ली - 110003

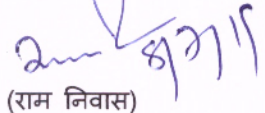
दिनांक : 8-7-2019
8 JUL 2019कार्यालय आदेश

कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19 मई 2009 के कार्यालय जापन सं0 35034/3/2008-स्था(घ) के तहत जारी दिशा-निदेशों तथा राजभाषा विभाग के दिनांक 27.06.2019 के पत्र संख्या 14034/02/2019-राभा (प्रशि) के अनुसार हिंदी शिक्षण योजना/केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान में तैनात निम्नलिखित अधिकारियों को संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के तहत उनके नाम के आगे दिए गए विवरण के अनुसार तृतीय वित्तीय अपग्रेडेशन का लाभ दिया जाता है:-

क्र.सं	अधिकारी का नाम सर्वश्री/श्रीमती	प्रारंभिक/नियमित नियुक्ति की तारीख	वित्तीय अपग्रेडेशन दिए जाने की तारीख	वित्तीय अपग्रेडेशन देने पर वेतनमान	दिए जाने वाले वित्तीय अपग्रेडेशन का प्रकार
1.	मंजू शिरीन, उप निदेशक	07.08.1989	07.08.2019	लेबल - 12 ₹78800-209200	तृतीय
2.	सुनीता देवी यादव, सहायक निदेशक (भाषा) वर्तमान में क्षेत्रीय में प्रतिनियुक्ति पर	05.04. 1989	05.04.2019	लेबल - 12, ₹78800-209200	तृतीय
3.	अजय मलिक, सहायक निदेशक (भाषा) वर्तमान में क्षेत्रीय में प्रतिनियुक्ति पर	12.05. 1989	12.05.2019	लेबल - 12 ₹78800-209200	तृतीय
4.	एम.एल.गुप्ता, सहायक निदेशक (भाषा)	13.04. 1989	13.04.2019	लेबल - 12 ₹78800-209200	तृतीय
5.	कोमल सिंह, सहायक निदेशक (भाषा)	06.06.1989	06.06.2019	लेबल - 12 ₹78800-209200	तृतीय
6.	जितेन्द्र कुमार सिंह, सहायक निदेशक (भाषा)	25.04.1989	25.04.2019	लेबल - 12 ₹78800-209200	तृतीय
7.	सुरभि, सहायक निदेशक (भाषा)	19.06.1989	19.06.2019	लेबल - 12 ₹78800-209200	तृतीय

.....2/-

2. यह वित्तीय अपग्रेडेशन संबंधित अधिकारी के लिए पूर्णतः वैयक्तिक आधार पर होगा और उसकी वरिष्ठता पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस वित्तीय अपग्रेडेशन से किसी वरिष्ठ अधिकारी को इस आधार पर कोई वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा कि उससे कनिष्ठ अधिकारी उक्त ग्रेड में संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन के कारण उच्चतर वेतन ले रहा है।
3. उपरोक्त अधिकारियों का वेतन मूलभूत नियमावली के नियम 22(1)(क)(1) के उपबंधों के अधीन निर्धारित किया जाएगा। मूल नियम 22(1)(क)(1) में दी गई व्यवस्था के आधार पर वेतन निर्धारण के लिए संबंधित अधिकारी इस कार्यालय आदेश के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर वेतन निर्धारण हेतु अपना विकल्प दे सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के बाद दिया गया विकल्प मान्य नहीं होगा।
4. संशोधित सुनिश्चित प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत स्वीकार्य वित्तीय लाभ अंतिम होगा और नियमित पदोन्नति के समय मिलने वाले वेतन निर्धारण का लाभ नहीं मिलेगा।
5. संशोधित सुनिश्चित प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ की पुष्टि लेखा परीक्षा द्वारा की जाएगी तथा आवश्यक वसूली, यदि कोई हुई तो लेखा परिप्रेक्ष्य में की जाएगी।


(राम निवास)

प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि सूचना व आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

1. वेतन तथा लेखा अधिकारी(सचि) गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, सी.आई.एस.एफ., गृह मंत्रालय, चेन्नै
3. उप सचिव (प्रशि), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के उनके दिनांक 27-6-2019 के का.ज.सं.14034/02/2019-रा.भा.(प्रशि.) के संदर्भ में।
4. उप निदेशक (दक्षिण/पश्चिम/पूर्व/पूर्वोत्तर/मध्योत्तर/परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना/केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, चेन्नै/मुंबई/कोलकाता/नई गुवाहाटी/दिल्ली।
5. श्रीमती मंजू शिरीन, उप निदेशक (पूर्व), हिंदी शिक्षण योजना, कोलकाता।
6. श्रीमती सुनीता देवी यादव, उप निदेशक (प्रतिनियुक्त), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, मुंबई।
7. श्री अजय मलिक, उप निदेशक (प्रतिनियुक्त), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, गाजियाबाद।
8. श्री एम.एल.गुप्ता, सहायक निदेशक (भाषा), हिंदी शिक्षण योजना (पश्चिम), मुम्बई।
9. श्री कोमल सिंह, सहायक निदेशक (भाषा), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उपसंस्थान, चेन्नै।
10. श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, सहायक निदेशक (भाषा), हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर), नई दिल्ली।
11. श्रीमती सुरभि, सहायक निदेशक (भाषा), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उपसंस्थान, हैदराबाद।
12. सहायक निदेशक (हिं.टं./हिं.आशु.), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली। वेब-साइट पर अपलोड करने हेतु।
13. व्यक्तिगत मिसिल/सेवापंजी।
14. गार्ड फाइल।